राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/95 पार्ट–II जयपुर, दिनांकः 27 DEC 2021

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर) सहित

परिपत्र

विषयः–अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के तहत दिनांक 01.06.2002 के बाद संतानो की संख्या की गणना में दत्तकग्रहीत संतान को शामिल करने के संबंध में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 द्वारा विविध सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राजसेवक की संतानों की संख्या दिनांक 01.06.2002 के बाद बढ़कर दो से अधिक हो जाती है तो उसकी पदोन्नति पर 5 वर्ष (अधिसूचना दिनांक 19.09.2017 द्वारा 03 वर्ष) तक विचार नहीं किया जाएगा।

किसी बालक को दत्तक लेने अथवा दत्तक देने संबंधी प्रकरणों में संतानो की संख्या की गणना के संबंध में कार्मिक विभाग से समय–समय पर मार्गदर्शन चाहा जाता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.08.2016 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी राजकीय शिशुगृह से निराश्रित बालक/बालिका को, विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए, दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी दत्तकग्रहीता संतान के कारण उसकी संतानो की संख्या 01.06.2002 के बाद वृद्धि होकर दो से अधिक हो जाती है, तो ऐसे प्रकरण में, अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के प्रयोजन के लिए, ऐसी दत्तकग्रहीत संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जावेगा।

प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 जारी किए जाने के पीछे मूल भावना व उद्देश्य "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना" रहा है। चूंकि किसी भी बालक चाहे वह निराश्रित हो अथवा नही, जो दत्तकग्रहीता की जैविक संतान नहीं है, को दत्तकग्रहण करने के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि नही होती है। अतः ऐसा दत्तकग्रहण उक्त प्रावधान की भावना को आहत नहीं करता है।

उक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी बालक/बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए, दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है

और ऐसी दत्तकग्रहीत संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या में 01.06.2002 के बाद वृद्धि होकर दो से अधिक हो जाती है, तो ऐसे प्रकरण में, अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के प्रयोजन के लिए, ऐसी दत्तकग्रहीत संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जावेगा। परंतु यदि किसी राजसेवक द्वारा स्वयं के जैविक प्रसव से उत्पन्न संतान को दत्तक दिया जाता है, तो ऐसे प्रकरण में, अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के प्रयोजन के लिए, ऐसी दत्तक दी हुई संतान को संतानो की कुल संख्या में ही गिना जावेगा।

उक्त निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगे तथा इसके आधार पर पूर्व के किसी भी प्रकरण की समीक्षा नही की जायेगी। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानों को लागू करते समय उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जावें।

24/12/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

61/2021